14.5.18 पश्चिमायन के बकौल उपला।

आदिवा समाज से सिरवाला आदर सुनाया

रूपलोग रहे। आदिवासी स्वार आयता ?

स्वारिज किया गया। [illegible]

कि सल्लु कुमार होकर बाद बकौलि

अमा बिनिबिरवामय बाकिआये [illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मुकदमा नं०	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
191/17	20-11-2017	14/5/2018

उनवान

[1] देवेन्द्र
[2] जितेन्द्र पुत्रान बाबूलाल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता रमेश देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम जौड़िया
[3] रमेश देवी पत्नि बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम जौड़िया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- वादीगण

बनाम

[1] बाबूलाल
[2] ओमप्रकाश पुत्रान श्रीराम
[3] रमेश
[4] संतोष
[5] कान्ता
[6] राजू पुत्रीयान श्रीराम जाति अहीरान निवासी ग्राम जौड़िया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[7] उप पंजीयक अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
[8] राज० सरकार जरिये भूमि-धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम (अलवर) राज०
[9] विजयपाल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम जौड़िया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- प्रतिवादीगण

दावा हक तकसीम मय दुरुस्ती इन्द्राज मय तकासमा आराजी मय हुक्मइम्तनाई दवामी अं० धा० 88, 89, 53, 188 राज. टी.एक्ट. 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

उपस्थित:-
[1] श्री रामपाल यादव अभिभाषक वादीगण
[2] श्री विकास यादव अभिभाषक प्रति. सं. 9

लगातार -

Scanned by CamScanner

वादीगण/प्रार्थीगण ने अपने वाद के साथ एक प्रार्थनापत्र अं. धा. 212 R.T. Act का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खाता सं. 1588/1-11 बीघा, 1592/0-02 बिस्वा वाके ग्राम सोरेड़िया तहसील कोटखावदा स्थित है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण की हिन्दू पुश्तैनी खानदान की दादालाई आराजीयात है। जिसमें मिन वादीगण के हक हकूक बराबर निहित है। प्रतिवादी मिन मिन वादीगण सं. 1 व 2 का सगा पिताजी है व वादिया सं. 3 का पति है। विवादित आराजीयात मिन वादीगण के दादाजी श्रीराम की विरासत से प्रतिवादी सं. 1 ता. 6 को प्राप्त हुई। मिन वादीगण सं. 1 व 2 की दादीजी भी फौत हो चुकी है और उनकी विरासत भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 6 को प्राप्त हुई। इस प्रकार यह आराजीयात विवादित दादालाई आराजीयात की सम्पत्ति है। हमारा परिवार व खानदान पीढ़ियों से हिन्दू धर्म के अनुयायी चले आ रहे हैं मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकारी आदि नियम के अनुसार दादालाई सम्पत्ति में जन्म लेने के दिन से ही सम्पत्ति में हक निहित हो जाता है। परिवार का कर्ता धर्ता व मुखिया होने के कारण विवादित आराजी में मुताबिक हिस्सा 15/63 आना में से 1/7 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। प्रतिवादी सं. 1 अपना व अपने परिवार का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। अपनी गलत आदतों से ग्रस्त है इसलिए वह दीगर लोगों के बहकावे में आकर आराजीयात को बेचान करना चाहता है और मिन वादीगण को उनकी दादालाई आराजीयात से वंचित करना चाहता है। इसलिए मिन वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के इस 15/63 आना आना में से 1/7 आना में से 3/4 आना के हकदार हैं विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं अतः विवादित आराजीयात का वादीगण तकासमा करवाना चाहते हैं और प्रतिवादी सं. 1 को खरीद फरोख्त से पाबन्द करवाने की कार्यवाही है।

प्रार्थना पत्र को रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने न्यायालय में उपस्थित
Sd/- होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि
उपखण्ड अधिकारी
सिम (अन्ता)
वादीगण/प्रार्थीगण ने वाद मिथ्या एवं मनगढ़न्त पेश किया है। वाद पत्र के झूठा शपथ पत्र, फर्जी व कुनामी दस्तावेजात से प्रार्थीगण का केस किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण आखिर व साबित नहीं होता।

लगातार

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा बताई गई आराजीयात विवादित नहीं है। तथा यह आराजी श्रीराम से प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। जब प्रतिवादीगण को श्रीराम मृतक से उक्त आराजी विरासत में ही प्राप्त नहीं हुई तो विवादित आराजी में वादीगण के कोई नये हित निहित होना या दाखिलाई का होना लिखा जाता है। दावा वादी प्रतिवादी सं. 1 के साथ मिलकर बाद पेश कर रखा था शेष प्रतिवादीगण को केवल रूप से पक्षकार बनाया है। जो मात्र उनकी सम्पत्ति को हड़पना चाहते हैं। खारिज किया जावे (प्रतिवादी सं. 1 ने एक बाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है, जो साबित करता है कि वादी एवं प्रतिवादी आपस में सांठगांठ हैं, व प्रतिवादी को रजिस्टर्ड आराजी का लेन देन इन्तकालों को स्वीकार नहीं होने देना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात दाखिलाई की आराजीयात है और वादीगण के कोई नये हित निहित हैं। प्रार्थीगण के दादी व दादीजी का विरासत का इन्तकाल प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 के नाम हुए हैं। प्रतिवादी सं. 1 अपने व अपने परिवार का भला बुरा सोचने समझने की शक्ति रखता है इसलिये वह दीगर लोगों के बहकावे में आकर विवादित आराजीयात का बैनामा करना चाहता है और नित वादीगण को दाखिलाई आराजीयात के उपयोग-उपभोग से वंचित करना चाहता है। नित वादीगण प्रतिवादी सं. 1 को 15/63 भाग में से 1/7 भाग में से 3/4 भाग पर प्रतिवादीगण के साथ सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कर रहे हैं। अतः विवादित आराजी का कोई ओरल कब्जा बाज़ाब्ता नामजदा कर प्रतिवादी सं. 1 को नये [illegible] से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 9 का कहना है कि प्रार्थीगण द्वारा बाद मिथ्या एवं मनगढ़न्त व झूठे आधार पर से पेश किया गया है। विवादित आराजी दाखिलाई नहीं है। यह आराजी श्री राम से प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। जब आराजीयात श्रीराम से विरासत में ही प्राप्त ही नहीं हुई तो वादीगण के कोई नये हित निहित होना या दाखिलाई के होने लिखा जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अल...

साथ रहता है। प्रतिवादी सं. 1 ने भी एक वाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है। प्रतिवादी सं. 2 की स्वीकृतशुदा सम्पत्ति का बंटवारा हो जाने से जाने अधिकतर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने न्यायालय श्रीमान में वाद दायर किये। वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 से हिस्सा चाहिये अतः ऐसे वाद भी प्रतिवादी सं. 1 पर ही चलना न्यायोचित रहा। वाद उपरोक्त कारणों से पेश किया है अतः ऐसे वाद अब इसी स्तर खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता का कथन है कि विवादित सम्पत्ति शामलाती है। जिस पर प्रार्थीगण का बराबर हित निहित है। अप्रार्थी सं. 2 का कथन है कि विवादित सम्पत्ति खरीदा एवं खुद कायम कर पेश किया गया है। विवादित सम्पत्ति शामलाती नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 बोनाफाइड पर्चेजर है जिसने सम्पत्ति भूरा पुत्र श्रीराम से खरीद की है। जबकि वादीगण/प्रार्थीगण बाबूलाल पुत्र श्रीराम के वारिस हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में बाबूलाल की ही सम्पत्ति निर्देशना से पाबन्द किया है। लेकिन वाद पत्र में सभी का प्रतिवादीगण की नजर में किया है। इससे यही सिद्ध है कि प्रार्थीगण ने प्रतिवादी सं. 2 को परेशान करने की नियत से वाद पत्र पेश किया है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी बाबूलाल से नहीं खरीदी है अतः प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं है जब प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं तो सुविधा का संतुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना भी नहीं साबित होती।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T. Act. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/5/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर एवं खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner